न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

विविध वाद सं0— 07/2018

आदेश

25.11.2022

उभय पक्ष की हाजिरी दी गयी। वादी द्वारा दाखिल दिनांक—25.06.2021 का प्रतिस्थापन आवेदन प्रचालित किया गया। वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 4 वंशीधर तिवारी की मृत्यु दिनांक—10.05.2021 को हो चुकी है। अतः उनका नाम कलमजद कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाए।

वादी के आवेदन दिनांक—25.06.2021 एवं विपक्षी संख्या 2 के प्रतिउत्तर दिनांक—18.06.2022 पर उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वादी द्वारा लिस्ट आफ डाकूमेन्ट के साथ पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र की छाया प्रति दाखिल किया गया। विपक्षी का कथन है कि वंशीधर तिवारी नावल्द मरे हैं इस संबंध में वादी द्वारा मगध विश्व विद्यालय का प्रवेश पत्र की छाया प्रति, बैंक आफ बड़ौदा का पासबुक, लैंड पॉजेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ग्राम पंचायत मुखिया का प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा अनेकों विश्व विद्यालय का परीक्षा प्रवेश पत्र, निर्वाचना प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र दाखिल किया गया। जिसके अवलोकन से विदित होता है कि वंशीधर तिवारी के दो पुत्र वृंदावन तिवारी तथा नंदलाल तिवारी हैं। वे नावल्द नहीं मरे हैं। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल दिनांक 25.06.2021 का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 का नाम कलमजद कर उनके जगह पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करे।

दिनांक—20.12.2022 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

Sd/-

मुंसिफ, डुमरॉव